



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

नगर निगम मुख्यालय, नया प्रशासनिक भवन, छोटा पारा, गांधी चौक, रायपुर (छ.ग.)  
फोन नम्बर 0771-2535780,90, फैक्स :077172227395; ईमेल dc\_rmc@reddiffmail.com

" निविदा आमंत्रण सूचना "

क.1723.../भ.नि.अ.प्र./न.पा.नि./2023

रायपुर दिनांक 05/12/2023

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, बैनर पोस्टर, होर्डिंग, टेला, गुमटी हटाने की निरंतर कार्यवाही हेतु समक्ष श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदायें तथा एफ.डी.आर. आमंत्रित की जाती हैं। इस हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 06.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे से निर्धारित राशि जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 26.12.2024 को संध्या 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से संबंधित दस्तावेज सहित नगर निवेश विभाग, मुख्यालय कक्ष क. 310, द्वितीय तल, नगर पालिक निगम, रायपुर छ.ग. में जमा किया जाएगा। प्राप्त समस्त निविदायें दिनांक 27.12.2024 को दोपहर 02:00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित अवधि में यदि अवकाश होता है तो उल्लेखनीय कार्यवाही अगले कार्य दिवस पर सम्पन्न की जावेगी।

कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	कार्य का विवरण	आगणित राशि	अमानती राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	समयावधि	निविदा प्रपत्र
1	नगर निवेश मुख्यालय अंतर्गत अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, बैनर पोस्टर, होर्डिंग, टेला, गुमटी हटाने हेतु कलेक्टर दर पर 12 अनुभवी कुशल श्रमिक 09 माह के लिये रखे जाने का कार्य।	17,85,196.00	50,000.00	1,000.00	पंजीकृत ठेकेदार	09 माह	अ

1. ठेकेदार पंजीयन जीवित कापी।
2. F.D.R. राशि 50,000/- (आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से)
3. Income Tax क्लियरेंस प्रमाण पत्र (अंतिम 03 वित्तीय वर्ष),
4. पेन कार्ड,
5. आधार कार्ड,
6. G.S.T. प्रमाण पत्र,
7. E.P.F. एवं E.S.I.C.पंजीयन प्रमाण पत्र,
8. बैंक साल्वेंसी (7 लाख), आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
9. श्रम विभाग द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
10. निजी सुरक्षा अभिकरण कारोबार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
11. 06 वर्ष का नगरीय निकाय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र।
12. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापन सहित प्रस्तुत करना होगा।
13. ठेकेदार/सप्लायर्स के द्वारा जीएसटी रिटर्न कॉपी प्रस्तुत किया जाना होगा।
14. ठेका कार्य सिर्फ जीवित जी.एस.टी. पंजीयन धारक को प्रदाय किया जावेगा। अन्यथा नगर निगम रायपुर द्वारा ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
15. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम रायपुर के पास सुरक्षित है।
16. निविदा संबंधी प्रपत्र व अन्य शर्तें एवं जानकारियाँ कार्यालय अवधि/दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।
17. समस्त दस्तावेज का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य हैं।

प्रतिनिधि

नगर निवेशक  
नगर पालिक निगम, रायपुर